कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2715 / 2-6 देवरिया, दिनांक, फरवरी 24/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

संदर्भ :- आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1819 / 2–6, दिनांक 13.01.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या–1964 / 2–6, दिनांक 20.02.2023 द्वारा प्रेषित की गयी है। उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रस्ताव से सम्बन्धित सूचना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 46 / 2017 / एफ0सी / 296 दिनांक 27.07.2022 द्वारा मांगी गयी आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या–751 / 2–6, दिनांक 26.09.2022 द्वारा मय संलग्नक सहित भेजी जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या अन्य रेंज के पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है जिसकी आख्या अलग से प्रेषित की जायेगी। विषयगत प्रस्ताव मे जिलाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रस्ताव की आख्या भारत सरकार द्वारा मांगी गयी आख्या के क्रम में उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें, ताकि विषयगत प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु उच्च स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 2182/26 दिनांक गोरखपुर फरवरी 28/23

प्रतिलिपि – प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1819/2-6 दिनांक 13.1.2023 द्वारा भारत से निदेश दिये गये हैं कि उक्त पेट्रोल पम्प के अनापत्ति प्रमाण हेतु जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त विभिन्न शर्तों के अधीन जमीन पर्याप्त व्यवस्था के साथ उक्त कार्य में जिसमें जिलाधिकारी प्राविधि कार्यवाही की जा सके। किन्तु अभी तक आप द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर